



प्रेषक,
मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2026
विषय- जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ में कामनरूम सेट का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/420308/2026/UPDTE/217/2025 दिनांक 16.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ में कामनरूम सेट का निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार स्तम्भ-4 में अंकित मूल्यांकित लागत की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल धनराशि **रु० 74.33 लाख (रूपये चौहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

धनराशि रूपये लाख में					
क्र० सं०	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम व जनपद	निर्माण कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	नामित कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़	कामनरूम सेट का निर्माण कार्य	74.33	74.33	सी० एण्ड०डी०एस० (उ०प्र० जल निगम)

- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
5. प्रस्तावित कार्यों की लागत का अनुमोदन प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशालय का होगा। प्रस्तावों के स्कोप में परिवर्तन आदि सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन के बगैर नहीं किया जायेगा।
6. प्रस्तावित कार्यों की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
7. प्रस्तावित कार्यों में बाट आउट आईटम बजटरी आफर/ कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई है। समिति का मत है कि इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें चूँकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक/ माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
8. वित्तीय स्वीकृति मूल्यांकित लागत पर जारी की जाय किन्तु परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेंडर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाय। परियोजना की मूल्यांकित लागत एवं टेंडर कॉस्ट में यदि कोई बचत हो तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित रेनोवेशन एवं रिपेयर के कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी मेन्टेनेन्स मैनुवल में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय। प्रस्तावित कार्यों को समिति के स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त न्यूनतम आवश्यकतानुसार कराया जाय।
10. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा अन्य कार्य/मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।
11. प्रधानाचार्य/निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
12. स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी 0एल0ए0 में नही रखी जायेगी। शेष बची धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।
13. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
14. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15. उक्त कार्यों को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत योजना संबंधित जनपद की जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है।
16. आगणन में उल्लिखित किये गये दर की समस्त जिम्मेदारी निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
17. लेबर शेष की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
18. उक्त तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित संस्था को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,33,000 (रुपये चौहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 069 लेखा शीर्षक 4250002030700** दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना) **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
 - 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
 - 6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 7- प्रबंध निदेशक, सी० एण्ड० डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 9- संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (द्वारा निदेशक)।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।